संख्या-485**/2023/आई/**344519**/41-1002-001- 48-2023-142-Budget-2023**

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह**,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक: **06** जुलाई**,** 2023

विषय:- जनपद आगरा में कैलाश मंदिर के पर्यटन विकास हेतु पुनरीक्षित कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1474/6-1-1(1691)/2022-23, दिनांक 12.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से जनपद आगरा में कैलाश मंदिर के पर्यटन विकास कार्यों में मद में परिवर्तन/सम्मिलित किये गये अतिरिक्त कार्यों के निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि रू0 411.12 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त प्रायोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-295/2023 /आई/295527/001-41-1002-001-48-2023-142-Budget-2023,दिनांक 29.03.2023 द्वारा धनराशि रू0 354.84 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 5.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-430/2023/आई/317776/001-41-1002-001-48-2023-142-Budget-2023, दिनांक 17.05.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- महानिदेशक**,** पर्यटन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 411.12 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रस्तावित मदों में परिवर्तन/नये कार्य कराये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

4- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 29.03.2023 तथा दिनांक 17.05.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश के शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा उसका अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, आगरा।
6. संयुक्त निदेशक पर्यटन, आगरा/अलीगढ़ मण्डल ,आगरा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
9. परियोजना प्रबंधक, (यूनिट-4), उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, आगरा ।
10. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।